विविध प्रकरण संख्या 88/2019
(सतपाल बनाम हजारी राम)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार

अनवान :– विविध प्रकरण संख्या 88/2019

सतपाल पुत्र स्व0 कुम्भाराम जाति कुम्हार निवासी चक 4 जैड तह0 श्री गंगानगर, वर्तमान निवासी वार्ड न0 13/18, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर ।

—— प्रार्थी

—:: बनाम ::—

1. हजारी राम पुत्र राम रख (मृतक)
   1/ 1. नानू देवी पत्नी स्व. हजारी राम जाति जाट निवासी वार्ड नं. 14, नजदीक पशु चिकित्सालय पुरानी आबादी श्रीगंगानगर ।
   1/2 . चन्द्रकला पुत्री स्व. हजारी राम जाति जाट निवासी वार्ड नं. 14, नजदीक पशु चिकित्सालय पुरानी आबादी श्रीगंगानगर ।
   1 / 3. नरेन्द्र सहारण पुत्र स्व. हजारी राम जाति जाट निवासी वार्ड नं. 14, नजदीक पशु चिकित्सालय पुरानी आबादी श्रीगंगानगर
   1/4. लोकेश सहारण पुत्र स्व हजारी राम जाति जाट निवासी वार्ड नं.14, नजदीक पशु चिकित्सालय श्रीगंगानगर ।
   1 / 5. लक्ष्मी पुत्री स्व. हजारी राम जाति जाट निवासी वार्ड नं. 14, नजदीक पशु चिकित्सालय श्रीगंगानगर ।
2. रामस्वरूप पुत्र वृजलाल जाति विश्नोई निवासी चमारखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
3. 3. मनीराम पुत्र वृजलाल जाति विश्नोई निवासी चमारखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
4. शंकर लाल पुत्र श्री हरी प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी 892 पुरानी आबादी वार्ड नम्बर– 13/18 श्रीगंगानगर ।
5. जगदीश प्रसाद पुत्र श्री हरी प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी 892 पुरानी आबादी वार्ड नम्बर 13/18 श्रीगंगानगर ।
6. कुन्दनलाल पुत्र श्री हरी प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी 892 पुरानी आबादी वार्ड नम्बर–13/18 श्रीगंगानगर ।
7. राजीव कुमार पुत्र सतीश कुमार गुप्ता निवासी 73 के ब्लॉक श्रीगंगानगर ।
8. संजीव गुप्ता पुत्र श्री सतीश कुमार गुप्ता निवासी 73 के ब्लॉक श्रीगंगानगर
9. स्टेट ऑफ राजस्थांन जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर ।
10. कमलनयन पुत्र स्व. श्री कुम्भाराम जाति कुम्हार निवासी चक 4 जैड प्रथम, हाल वार्ड नं.13/18 पुरानी आबादी श्रीगंगानगर ।
11. माया पत्नी सन्त राम जाति कुम्हार निवासी केदार कालोनी, चक 4 एम एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर
12. सारिका पुत्री सन्त राम जाति कुम्हार निवासी केदार कालोनी, चक 4 एम एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर
13. प्रियंका पुत्री सन्त राम जाति कुम्हार निवासी केदार कालोनी, चक 4 एमएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

(विविध प्रकरण संख्या :– 88/2019
अनवान सतपाल बनाम हजारी राम)

14. योगेश पुत्र सन्त राम जाति कुम्हार निवासी केदार कालोनी, चक 4 एम एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत।

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1.	श्री ओमप्रकाश बतरा अधिवक्ता	प्रार्थी
2.	श्री सुरेश कुमार अरोड़ा	अप्रार्थी संख्या–7 व 8
3.	श्री पूनम वर्मा	अप्रार्थी संख्या 10
4.	श्री मनोज कुमार अधिवक्ता	अप्रार्थी संख्या 11 व 13
5.	पेशकार	अप्रार्थी – 10

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 05.02.2025

संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि उपरोक्त अनवानी दावा अन्तर्गत धारा 88,91,188,92ए, 209 आर टी एक्ट श्रीमान् न्यायालय में पेश किया जा चुका है, जिसमें अंकित समस्त तथ्यों को इस प्रार्थना–पत्र के तथ्यों के रूप में पढा जावें, जिससे तथ्यों की पुनरावृति ना हो सकें। वाद–पत्र में अंकित तथ्यों, दस्तावेजी साक्ष्यों एवं प्रार्थी के शपथ–पत्र से तीनों बिन्दु प्रार्थी के हक में साबित है, अतः ता फैंसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थी के दादा स्व० रामचन्द्र व उसका भाई लक्ष्मण के नाम से चक 4 जैड प्रथम तह0 श्री गंगानगर के मु० न0 38 में 1 बीघा 8 बिस्वा, मु0न0 46 में 2 बीघा, मु0न0 47 में 25 बीघा, मु0 न० 48 में 23 बीघा 10 बिस्वा कुल 51 बीघा 17 बिस्वा नहरी खातेदारी दर्ज कागजातराज थी, जमाबंदी की नकल शामिल है। कालांतर में दोनों भाईयों में विभाजन होने पर प्रार्थी के दादा रामचन्द्र के हिस्सा में मु० न० 47 के किला न० 11 सालम, किला न0 12 का 10 बिस्वा, किला न० 11, 12, 18, 19, 20, 21, 23, कुल 7 बीघा 10 बिस्वा व मु० न० 48 का किला न० 1 का 12 बिस्वा, किला न0 2 सालम, किला न0 3,4,5,6,7,8,9 प्रत्येक सालम, किला न० 10 का 12 बिस्वा, किला न0 11 का 12 बिस्वा किला न0 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 प्रत्येक सालम, किला न0 20/1 का 6 बिस्वा, कुल 18 बीघा 2 बिस्वा, कुल 25 बीघा 12 बिस्वा हिस्सा व कब्जा में आयी, जो कि उसकी खातेदारी दर्ज थी। प्रार्थी के दादा रामचन्द्र के देहांत के बाद उपरोक्त भूमि वादी के पिता स्व० कुम्भाराम को विरासतन प्राप्त हुई, जमाबंदी संवत् 2047 –50 की नकल शामिल है, जो कि 4 जैड प्रथम के खाता सं0 5/6, मु0न0 47,48 के रूप में दर्ज हुई, जमाबंदी की नकल शामिल है। इस प्रकार उपरोक्त भूमि प्रार्थी के पिता को प्रार्थी के दादा से विरासतन प्राप्त होने के कारण इसमें प्रार्थी का जन्म से हक हिस्सा बना तथा यह सम्पति स्व० कुम्भाराम तथा उसके संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित जद्दी जायदाद के रूप में स्व० कुम्भाराम के नाम दर्ज चली आयी, कुम्भाराम व उसके पुत्रों के बीच कभी उपरोक्त सम्पति का विभाजन नहीं हुआ, अतः कुम्भाराम के नाम संयुक्त हिन्दु परिवार के कर्ता व मुखिया के रूप में उपरोक्त भूमि उसके नाम दर्ज रही तथा कुम्भाराम को बिना विभाजन करवाये अपने हक से अधिक भूमि को कानूनन मुंतकिल करने का कभी कोई हक व अधिकार कभी नहीं रहा। परिवार बढ़ जाने के कारण कुम्भाराम के पुत्र अलग–अलग रहने लग गये, कुम्भाराम ने बिना संयुक्त हिन्दु परिवार के अन्य सदस्यों जिनका नाम वर्तमान जमाबंदी में कुम्भाराम के देहांत के बाद इंतकाल सं0 582/06.02.17 के दर्ज है की बिना सहमति के उपरोक्त भूमि में से बिना जरूरत जायज बिना मुफाद

Scanned with CamScanner

ानदान व बिना सहमति अन्य सहखातेदारान के निम्न प्रकार से भूमि का विक्रय किया ाकर स्वयं उस राशि का अनुचित लाभ उठाया–

1) जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 01.01.94 के उपरोक्त आराजी 25 बीघा 12 बिस्वा में 12 बिस्वा स्व० कृष्णा गुप्ता धर्मपत्नी सतीश कुमार गुप्ता को विक्रय किया गया, बैयनामा की नकल शामिल है, कृष्णा गुप्ता का देहांत हो चुका है, जिसके वारसान वर्तमान अप्रार्थी ंव 7, 8 है।

2) जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 11.02.94 के उपरोक्त आराजी में से 18 बिस्वा 4 बिस्वासीया कस्स बेचान प्रति0 सं0 7 के हक में किया गया, बैयनामा की नकल शामिल है।

(3) जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 09.09.2003 के उपरोक्त आराजी में से 1 बीघा का बैयनामा प्रति० सं० 2 ता 6 के हक में किया गया, बैयनामा की नकल शामिल है।

(4) जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 28.06.08 के उपरोक्त भूमि में से 0.238 हे0 प्रति0 सं0 7 को विक्रय किया, बैयनामा की नकल शामिल है।

(5) जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 28.01.11 के उपरोक्त आराजी में से 0.564 हे0 प्रति० सं० 1 को विक्रय की बैयनामा की नकल शामिल है ।

इस प्रकार 25 बीघा 12 बिस्वा में स्व० कुम्भाराम के साथ उसके पुत्र हंसराज, संतोष कुमार, संतराम, कमल नयन, वादी सतपाल, देवीलाल, हरीकृष्ण भी संयुक्त हिन्दु परिवार होने के कारण हकदार थे, अतः वादी का उपरोक्त भूमि 25 बीघा 12 बिस्वा में से 1 / 8 हिस्सा बनता है, जिसका वह खातेदार है । इस प्रकार 25 बीघा 12 बिस्वा में प्रार्थी के पिता स्व० कुम्भाराम का 1/8 हिस्सा अर्थात् 3 बीघा 4 बिस्वा बनता था, अतः इससे अधिक आराजी विक्रय करने का उसको कानूनन कोई हक अधिकार नहीं था। इस प्रकार उपरोक्त बैयनामाजात जो प्रार्थी व उसके भाईयों की सहमति के बिना करवाये गये है, शुरू से शून्य होने के कारण प्रार्थी के अधिकारों पर बेअसर है तथा ऐसे शून्य दस्तावेज के आधार पर अप्रार्थीयान 1 ता 8 को किसी प्रकार से कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं हुए। प्रार्थी ने कभी अपने पिता स्व० कुम्भाराम को उसके हिस्सा में से एक इंच आराजी मुंतकिल करने के लिए कभी कोई लिखित अथवा मौखिक सहमति नहीं दी। स्व० कुम्भाराम ने जो आराजी विक्रय की उसकी राशि स्वयं अथवा अपनी पत्नी कृष्णा देवी पर खर्च की, प्रार्थी को कभी कोई राशि नहीं दी गई । अब अप्रार्थी सं० 1 ता 8 उपरोक्त शून्य बैयनामाजात के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में भूमि उनके नाम खातेदारी दर्ज होने का अनुचित लाभ उठाकर ना केवल उपरोक्त भूमि जो कि मौके की है तथा शहर के साथ लगती हुई है का विक्रय करं ना केवल अनुचित लाभ उठाने के प्रयास में है बल्कि निर्माण कार्य करवाने के भी प्रयास में है जबकि उपरोक्त भूमि को पानी की बारी प्रार्थी को ही प्राप्त हो रही है । स्व० कुम्भाराम ना केवल नशे का आदी था, अतः उसने अपनी गलत आदत की पूर्ति के लिए उपरोक्त भूमि को विक्रय किया, अतः यदि प्रति0 सं0 1 ता 8 ने भूमि को मुंतकिल किया तो प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा, दावा का मकसद समाप्त होगा तथा मौके पर कभी कोई अप्रिय घटना होकर जानमाल का नुकसान हो सकता है। लिहाजा प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पेश करके अर्ज है कि ता फैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा की इस आशय की सादिर की जावें कि चक 4 जैड प्रथम तह0 श्री गंगानगर के खाता सं0 5/6, वर्तमान खाता सं0 18/14, मु0न0 47 की 7 बीघा 10 बिस्वा व मु० नं० 48 की 18 बीघा 2 बिस्वा कुल 25 बीघा 12 बिस्वा अर्थात 5.857 हे0 में से अप्रार्थीयान किसी भूमि को रहन बैय मुंतकिल करने, कोई निर्माण कार्य करवाने व प्रार्थी की बारी पानी 25 बीघा 12 बिस्वा में स्वयं अथवा अन्य किसी की सहायता से मदाखलत करने से बाज व ममनु रहे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय रजिस्टर किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा को नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 7 व 8 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसके तथ्यानुसार वाद पत्र में अंकित तथ्यों को स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया जाकर साबित नहीं माना जा सकता और न ही वाद पत्र में अंकित तथ्यों के आधार पर वादी का कोई प्रथम दृष्टया प्रकरण ही बनता है और न ही सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी/वादी के हक में है और न ही प्रार्थी ता फैसला वाद किसी प्रकार की कोई अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 में अंकित तथ्यों में यह तथ्य स्वीकार है कि रामचन्द की मृत्यु के पश्चात कृषि भूमि चाक नम्बर 4— जैड प्रथम के खाता संख्या 5/6, मुरब्बा नम्बर 47 व 48 कुम्भा राम को वारिस के रूप में प्राप्त हुई थी। शेष तथ्य, जो इस मद में कृषि भूमि में प्रार्थी का जन्म से हक व अधिकार होने के सम्बन्ध में अंकित किए गए हैं, वे झूठे व मनगढ़न्त अंकित किए गए हैं, क्योंकि उपरोक्त भूमि जद्दी जायदाद की श्रेणी में नहीं आती, बल्कि कुम्भा राम को निरस्तान ही प्राप्त हुई है। यहां यह अंकित करना आवश्यक है कि इन्हीं तथ्यों के आधार पर हंसराज पुत्र श्री कुम्भा राम द्वारा वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में एक वाद संख्या 177/1993, अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, अनवानी हंसराज बनाम कुम्भा राम वगैरह, श्रीमान न्यायालय में इन्हीं तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया कि उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी का जन्म से अधिकार है और उक्त वाद में वादी सतपाल व उसके अन्य भाई कमल नयन, दर्शीलाल, हरिकृष्ण, सन्तोष कुमार, सन्त राम, संजीव कुमार व कृष्णा देवी पक्षकार थे। उक्त वाद में कुम्भा राम द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7, नियम 11, सी०पी०सी० पेश की गई जिसमें दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात दिनांक 14.11.2000 को प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर हंसराज का वाद खारिज किया गया । आदेश की फोटोप्रति संलग्न है । उक्त वाद के विरुद्ध हंसराज द्वारा या वादी व उसके अन्य भाईयों के द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई और आदेश अन्तिम हो चुका है। इन्हीं तथ्यों के आधार पर पुनः वाद प्रस्तुत करने का अधिकार वादी को नहीं है। इसके अलावा यहां यह अंकित किया जाना आवश्यक है कि हंसराज का वाद खारिज होने के पश्चात इन्हीं तथ्यों के आधार पर वर्ष 2003 में कमल नयन, सन्तोष, सन्त राम, दर्शीलाल व सतपाल विरुद्ध कुम्भा राम द्वारा पुनः एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का कुम्भा राम व हंसराज, हरीकृष्ण व रामरूप वगैरह को पक्षकार बनाते हुए इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया कि उक्त कृषि भूमि जद्दी जायदाद होने के कारण 1/8 1/8 हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। उक्त वाद प्रस्तुत होने के पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 कुम्भा राम की ओर से पुनः एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11, सी०पी०सी० का दिनांक 01.03.2005 को प्रस्तुत किया गया कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में ही वाद संख्या 177/1993, अनवानी हंसराज बनाम कुम्भा राम का निर्णय दिनांक 14.11.2000 को हो चुका है और वह निर्णय अन्तिम हो चुका है। इस वाद में भी सभी वादीगण, पक्षकारगण थे जिन्हें सुन कर ही वाद का निर्णय हो चुका है, इन तथ्यों को छुपा कर प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र भी सभी पक्षकारान को सुनने के पश्चात प्रतिवादी कुम्भा राम का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7, नियम 11, सी०पी०सी० स्वीकार करते हुए वादीगण का वाद दिनांक 26.06.2008 को खारिज किया गया। आदेश व डिक्री की प्रति संलग्न जवाब प्रार्थना पत्र है । इस प्रकार से एक ही वाद की विषयवस्तु के सम्बन्ध में पूर्व में दो निर्णय हो चुके हैं और दोनों निर्णय अन्तिम हो चुके हैं जिनका ज्ञान वादी को है, परन्तु वादी ने श्रीमान न्यायालय को गुमराह करने के आशय से पूर्व में पारित किए गए दोनों निर्णयों को छिपाते हुए वर्तमान वाद मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर एकतरफा तौर से स्थगन आदेश प्राप्त कर रखा है, जबकि वादी के विरुद्ध Resjudicata का सिद्धान्त लागू होता है व वाद इसी स्तर पर ही निरस्त होने योग्य है। वैसे भी विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है

Scanned with CamScanner

बीघा 10 बिस्वा कुल 51 बीघा 17 बिस्वा नहरी खातेदारी दर्ज कागजातराज थी, जमाबंदी की नकल शामिल है। कालांतर में दोनों भाईयों में विभाजन होने पर प्रार्थी के दादा रामचन्द्र के हिस्सा में मु० न० 47 के किला न० 11 सालम, किला न0 12 का 10 बिस्वा, किला न० 11, 12, 18, 19, 20, 21, 23, कुल 7 बीघा 10 बिस्वा व मु० न० 48 का किला न० 1 का 12 बिस्वा, किला न0 2 सालम, किला न0 3,4,5,6,7,8,9 प्रत्येक सालम, किला न० 10 का 12 बिस्वा, किला न0 11 का 12 बिस्वा किला न0 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 प्रत्येक सालम, किला न0 20/1 का 6 बिस्वा, कुल 18 बीघा 2 बिस्वा, कुल 25 बीघा 12 बिस्वा हिस्सा व कब्जा में आयी, जो कि उसकी खातेदारी दर्ज थी। प्रार्थी के दादा रामचन्द्र के देहांत के बाद उपरोक्त भूमि वादी के पिता स्व० कुम्भाराम को विरासतन प्राप्त हुई, यह सम्पति स्व० कुम्भाराम तथा उसके संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित जद्दी जायदाद के रूप में स्व० कुम्भाराम के नाम दर्ज चली आयी, कुम्भाराम व उसके पुत्रों के बीच कभी उपरोक्त सम्पति का विभाजन नहीं हुआ, अतः कुम्भाराम के नाम संयुक्त हिन्दु परिवार के कर्ता व मुखिया के रूप में उपरोक्त भूमि उसके नाम दर्ज रही तथा कुम्भाराम को बिना विभाजन करवाये अपने हक से अधिक भूमि को कानूनन मुंतकिल करने का कभी कोई हक व अधिकार कभी नहीं रहा। कुम्भाराम ने बिना संयुक्त हिन्दु परिवार के अन्य सदस्यों जिनका नाम वर्तमान जमावंदी में कुम्भाराम के देहांत के बाद इंतकाल सं0 582/06.02.17 के दर्ज है की बिना सहमति के उपरोक्त भूमि में से बिना जरूरत बिना सहमति अन्य सहखातेदारान के भूमि का विक्रय जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 01.01.94, जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 11.02.94, जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 09.09.2003, जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 28.06.08, जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 28.01.11 किया गया। इस प्रकार 25 बीघा 12 बिस्वा में प्रार्थी के पिता स्व० कुम्भाराम का 1/8 हिस्सा अर्थात् 3 बीघा 4 बिस्वा बनता था, अतः इससे अधिक आराजी विक्रय करने का उसको कानूनन कोई हक अधिकार नहीं था। इस प्रकार उपरोक्त बैयनामाजात जो प्रार्थी व उसके भाईयों की सहमति के बिना करवाये गये है, शुरू से शून्य होने के कारण प्रार्थी के अधिकारों पर बेअसर है। अतः स्थगन आदेश वाद के अन्तिम निर्णय तक कन्फर्म किया जावे।

वकील अप्रार्थी 7 व 8 की मुख्य बहस यह रही कि उपरोक्त भूमि जद्दी जायदाद की श्रेणी में नहीं आती, बल्कि कुम्भा राम को विरास्तन ही प्राप्त हुई है। यहां यह अंकित करना आवश्यक है कि इन्हीं तथ्यों के आधार पर हंसराज पुत्र श्री कुम्भा राम द्वारा वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में एक वाद संख्या 177/1993, अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, अनवानी हंसराज बनाम कुम्भा राम वगैरह, श्रीमान् न्यायालय में इन्ही तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया कि उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी का जन्म से अधिकार है और उक्त वाद में वादी सतपाल व उसके अन्य भाई कमल नयन, देवीलाल, हरिकृष्ण, सन्तोष कुमार, सन्त राम, संजीव कुमार व कृष्णा देवी पक्षकार थे। उक्त वाद में कुम्भा राम द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7, नियम 11, सी०पी०सी० पेश की गई जिसमें दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात् दिनांक 14.11.2000 को प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर हंसराज का वाद खारिज किया गया। इसके अलावा यहां यह अंकित किया जाना आवश्यक है कि हंसराज का वाद खारिज होने के पश्चात् इन्हीं तथ्यों के आधार पर वर्ष 2003 में कमल नयन, सन्तोष, सन्त राम, देवीलाल व सतपाल पिसरान कुम्भा राम द्वारा पुनः एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का कुम्भा राम व हंसराज, हरीकृष्ण व रामरव रूप वगैरह को पक्षकार बनाते हुए इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया कि उक्त कृषि भूमि जद्दी-जायदाद होने के कारण 1/8 1/8 हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। उक्त वाद प्रस्तुत होने के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 कुम्भा राम की ओर से पुनः एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11, सी०पी०सी० का दिनांक 01.03.2005 को प्रस्तुत किया गया कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में ही

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

Scanned with CamScanner

वाद संख्या 177/1993, अनवानी हंसराज बनाम कुम्भा राम का निर्णय दिनांक 14.11.2000 को हो चुका है और वह निर्णय अन्तिम हो चुका है। इस वाद में भी सभी वादीगण पक्षकारान थे जिन्हें सुन कर ही वाद का निर्णय हो चुका है। इन तथ्यों को छुपा कर प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र भी सभी पक्षकारान को सुनने के पश्चात प्रतिवादी कुम्भा राम का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7, नियम 11, सी०पी०सी० स्वीकार करते हुए वादीगण का वाद दिनांक 26.06.2008 को खारिज किया गया। वादी 25 बीघा 12 बिस्वा भूमि में से 1/8 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। जैसा कि मद संख्या 4 के जवाब में विस्तारपूर्वक अंकित किया जा चुका है कि उक्त भूमि जद्दी–जायदाद ही नहीं है तो वादी का इसमें 1/8 हिस्सा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वादाधीन भूमि जद्दी–जायदाद न होकर कुम्भा राम को विरासतन प्राप्त भूमि थी और वह उक्त भूमि का एकल स्वामी था जिसमें वादी व उसके भाईयों का कोई हक व अधिकार कुम्भा राम के जीवनकाल में नहीं था। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में न होकर अप्रार्थी के पक्ष में है। अप्रार्थी संख्या 7 व 8 का उक्त खरीदशुदा भूमि पर निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। अप्रार्थी का खाता 2006 से ही अलग हो चुका है। प्रार्थी व प्रार्थी के भाई जो कि वाद वाद में अप्रार्थीगण 1 ता 6, 10 है ने मिलीभगत कर मेरे खाता की भूमि पर स्टे लेकर मुझे परेशान किया जा रहा है। जबकि मेरा खाता ही अलग है। मेरी भूमि का कन्वर्जन हो चुका है। अप्रार्थी कमलनयन पुत्र कुमाराम ने कोर्ट पर दबाव बनाकर मेरी भूमि पर स्टे प्राप्त किया हुआ है। कुम्भाराम द्वारा विक्रय किया गया जिसमें उसका बेटा विक्रय पत्र में गवाह है उस पर उसके हस्ताक्षर हैं। यदि भूमि जद्दी जायदाद थी तो कुम्भा राम कुल भूमि का 3.08 बीघा भूमि का बेचान कर सकता था मेरे द्वारा कुमाराम से खरीद की भूमि तो मात्र 2.12 बीघा ही है, इस प्रकार मेरे द्वारा खरिदी गई भूमि का बेचान सही हुआ है। प्रार्थी के द्वारा अपने खाते में मेरे खाते को शामिल करने का अधिकार ही नहीं है। अप्रार्थी 7 व 8 सदनावी क्रेता होने के साथ साथ खातेदार है। प्रार्थी न्यायालय में क्लीन हैंड से नहीं आये हैं प्रार्थी द्वारा कोर्ट से फ्राड किया गया है। वकील अप्रार्थी संख्या 7 व 8 द्वारा बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त– [Citation : 2007(1) DNJ (Raj.)267], [Citation : 2024(2) DNJ (Raj.)1401], [Citation : 2024(2) DNJ (Raj.)1024] पेश किये गये।

अप्रार्थी (कमलनयन) संख्या 10 की मुख्य बहस यह रही कि स्व. कुंभाराम को अपना हिस्सा बेचने का अधिकार था न कि परिवार के अन्य सदस्यों का। प्रकरण में वर्ष 2019 से स्थगन है उसके बाद भी अप्रार्थी संख्या 7 व 8 के खरिदशुदा रकबा का कन्वर्जन कैसे हो गया है, कन्वर्जन होना ही नहीं चाहिए था। कुंभा राम शराब के आदि थे, शराब की ऐवज में थोडे बहुत पैसे देकर रजिस्ट्री करवाई गई है। इसलिए प्रकरण में स्थगन मूल वाद के अंत तक रखा जावे।

विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य एवम् रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 01.01.94, रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 11.02.94, रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 09.09.2003, रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 28.06.08, रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 28.01.11, का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी संख्या 7 व 8 को प्रथम बेचान है जो संयुक्त परिवार में उसके हिस्सा से कम भूमि है, शेष भूमि कुंभा राम द्वारा अपने जीवनकाल में जरिए पंजीकृत दस्तावेज भूमि का बेचान किया गया जिनमें से विक्रय विलेख रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 01.01.94 में कुंभाराम के पुत्र कमलनयन के गवाह के रूप में सहमति पूर्ण हस्ताक्षर हैं इससे यह स्पष्ट होता है कि कुंभाराम द्वारा अपने जीवनकाल में बेचान की गयी भूमि के सम्बन्ध में कुंभाराम के परिवार के सदस्यों को उक्त बेचान का ज्ञान था। कुंभाराम के द्वारा बेचान 20–30 वर्ष पूर्व किया गया था जिसमें अप्रार्थी संख्या 7 व 8 को कुंभाराम के द्वारा

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

अपने हिस्सा की भूमि में से आंशिक हिस्सा का बेचान किया गया है। अप्रार्थी संख्या 7 व 8 जरिए रजिस्टर्ड बैयना के सदभावी केता हैं, जिनके द्वारा कय की गई भूमि का खाता अलग है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 7 व 8 की खरीदशुदा भूमि का खाता अलग होने के बावजूद वाद में उक्त खाता की भूमि को शामिल कर अप्रार्थी संख्या 7 व 8 के विरूद्ध अन्तरिम स्थगन प्राप्त करना महज अप्रार्थी संख्या 7 व 8 को परेशान करने बाबत दूर्भीसंधि प्रतीत होती है। कुंभाराम के द्वारा बेचान की गई आराजी को छोड़ कर शेष बची भूमि का कुंभाराम के वारिसान के मध्य हिस्सा अनुसार विभाजन होना है, जो कि वाद के अन्तिम निर्णय के समय होना है। प्रार्थी न्यायालय में क्लीन हैंड से नहीं आया है, महज अप्रार्थी संख्या 7 व 8 को परेशान करने की नियत से अन्तरिम निषेधाज्ञा प्राप्त करना साबित होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी स्थगन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली दायरा नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जाब्ता संलग्न मूल वाद मुकदमा संख्या 89/2019 बअनवान सतपाल बनाम हजारी राम रहे।

आदेश आज दिंनाक 05.02.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (सजस्व),
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner